

पत्रांक 8/वृ3-31/2010..... ५१५

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह
प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ०६.०१.३।।।

विषय:-

राज्य के CBSE/ICSE मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1/नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों का 25 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग/अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1450 दिनांक 20.12.2010 एवं 32 दिनांक 06.01.2011 का कृपया निदेश करें। राज्य के CBSE/ICSE मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कुल स्थानों के 25 प्रतिशत स्थानों पर कमजोर/अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन के संबंध में यह निदेशित किया गया था कि इस कोटि के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को सम्मिलित किया जाय। इस संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या ज्ञापांक ५०.२. दिनांक २५.३.।। के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को छोड़कर) के बच्चों जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2 (दो) लाख रुपये से कम है को भी 25 प्रतिशत स्थान पर प्रवेश के लिए सम्मिलित किया जाना है। प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित कुल स्थानों का 50 प्रतिशत बालिकाओं के लिए पूर्व की तरह आरक्षित रहेगा।

उपर्युक्त के आलोक में बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आलोक में वर्ग 1/नर्सरी कक्षाओं में उपलब्ध स्थानों के 25 प्रतिशत स्थानों पर बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

3/।।।
(अंजनी कुमार सिंह)

प्रधान सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना

पत्रांक 8/वृ-31/2010.....

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

अंजनी कुमार सिंह
प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक.....

विषय:-

राज्य के CBSE/ICSE मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1/नर्सरी कक्षाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों का 25 प्रतिशत स्थान कमजोर वर्ग/अलाभकारी समूह के बच्चों के लिए आरक्षित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 1450 दिनांक 20.12.2010 एवं 32 दिनांक 06.01.2011 का कृपया निदेश करें। राज्य के CBSE/ICSE मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कुल स्थान के 25 प्रतिशत स्थान पर कमजोर/अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन के संबंध में यह निर्देशित किया गया था कि इस कोटि के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को समिलित किया जाय। इस संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या ज्ञापांक 402 दिनांक 25.3.11 के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों को छोड़कर) के बच्चों जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2 (दो) लाख रुपये से कम है को भी 25 प्रतिशत स्थान पर प्रवेश के लिए समिलित किया जाना है। प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत आरक्षित कुल स्थानों का 50 प्रतिशत बालिकाओं के लिए पूर्व की तरह आरक्षित रहेगा।

उपर्युक्त के आलोक में बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आलोक में वर्ग 1/नर्सरी कक्षाओं में उपलब्ध स्थानों के 25 प्रतिशत स्थानों पर बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अंजनी कुमार सिंह)

प्रधान सचिव

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार, पटना

ज्ञापांक ५१५

पटना, दिनांक २५.३.११

प्रतिलिपि:- सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

२५.३.११

प्रधान सचिव